



राज. नं. एल. इम्प. / एम. पी. 898
लाहसंस्त नं० इम्प पी०-41
लाहसंस्त द् पास्ट एट कन्संशनल एड

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000
वैशाख 15, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग--1

संख्या 1243/सलह-वि-1--1 (क)-5-2000
लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना
विधायी

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएँ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अक्षतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इवधानवर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अधि-
नियम, 2000 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह 25 जनवरी, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 28
सन् 1979 की
धारा 3-क का
संशोधन

निरसन और
अपवाद

2—उत्तर प्रदेश आनंद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 3-क में, उप-
धारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "एक रुपया पचास पैसे"
रख दिये जायेंगे।

3--(1) उत्तर प्रदेश आनंद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्वारा
निरसित किया जात है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा
यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम
द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही
समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारकान समय पर प्रवृत्त थे।

भाजा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1243 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-5-2000

Dated Lucknow, May 5, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod Aur Pankar (Dwitiya Sanshodhan) Adhinyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 16 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. ACT No. 16 OF 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

to further amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Second Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 25, 2000.

Amendment of section 3-A of U. P. Act No. 28 of 1979

2. In section 3-A of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979, in sub-section (1), in clause (a) for the words "One rupee" the words "One rupee and fifty paise" shall be substituted.

Repeal and Savings

3. (1) The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

शीर्षक संख्या 16—1979—45 साठ विधायक—(462)—2000—850 (संकेत)।

(92)